**दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक "शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना" (scheme for shelter for urban homeless-SUH) के अन्तर्गत नगरीय निकायों से प्राप्त आश्रय निर्माण के प्रस्तावों की स्वीकृति हेतु शासनादेश संख्या– 833/69–1–14 –14(104)/2013 दिनांक 23 मई 2014 के द्वारा प्रमुख सचिव नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित "राज्य परियोजना स्वीकृति समिति" की दिनांक 23.10.2017 को सूडा सभागार में प्रातः 11:00 बजे आयोजित "तेरहवीं" बैठक का कार्यवृत्त**

दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना हेतु गठित राज्य परियोजना स्वीकृति समिति की बैठक प्रमुख सचिव नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 23.10.2017 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

1. श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, निदेशक, सूडा, उ0प्र0।
2. डा0 वी0के0 सिंह, अपर निदेशक, सूडा, उ0प्र0।
3. श्री साज़िद आज़मी, वित्त नियंत्रक, सूडा, उ0प्र0।
4. श्री हरनाम उपसचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. श्री महेन्द्र कुमार, संयुक्त निदेशक, नियोजन विभाग।
6. श्री अरूण कुमार द्विवेदी, अनुसचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।
7. श्री अश्विनी त्रिपाठी, शोध अधिकारी, नियोजन विभाग।
8. श्री राम नरेश, अपर सांख्यिकी अधिकारी, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0।
9. श्री राहुल जी श्रीवास्तव, क्षेत्रीय प्रमुख, हडको।
10. डा0 अरूण कुमार राणा, डिप्टी जनरल मैनेजर, हडको।
11. श्री अनिल कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी/परियोजना निदेशक, डूडा बाराबंकी।
12. श्री कमलजीत सिंह, मुख्य अभियन्ता, सूडा।
13. श्री उदय प्रताप सिंह, परियोजना अधिकारी, एस0यू0एल0एम0, सूडा।
14. श्री मो0 तैयब, एस0एम0एम0, एस0यू0एल0एम0, सूडा।
15. श्री ए0के0 पुरवार, महाप्रबन्धक सीएण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
16. श्री पदमाकर ओझा, परियोजना प्रबन्धक, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
17. श्री शैलेन्द्र सिंह, परियोजना अधिकारी, डूडा बाराबंकी।
18. श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, परियोजना अधिकारी, डूडा–सिद्धार्थनगर।
19. श्री विनय सिंह, परियोजना अधिकारी, डूडा–शाहजहांपुर।
20. श्री सुभाष वीर सिंह राजपूत, परियोजना अधिकारी, डूडा–एटा।
21. श्री आर0पी0 सिंह, परियोजना अधिकारी, डूडा मेरठ।
22. श्री राजकुमार द्विवेदी, सिटी मिशन मैनेजर, डूडा– इलाहाबाद।
23. श्री आर0के0 वर्मा, परियोजना प्रबंधक यूनिट–33, सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम, इलाहाबाद।
24. श्री रंजन शुक्ला, आर्किटेक्ट सी0एण्ड डी0एस0, सी0एण्ड डी0एस0।

राज्य परियोजना स्वीकृति समिति के समक्ष विचार विमर्श एवं स्वीकृति हेतु एजेण्डावार निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किये गयेः–

**बिन्दु सं0–1** राज्य परियोजना स्वीकृति समिति की बाारहवीं बैठक दिनांक 18.11.2016 की कार्यवाही की पुष्टि।

**निर्णय** **राज्य परियोजना स्वीकृति समिति की बारहवीं बैठक दिनांक 18.11.2016 के कार्यवाही की पुष्टि की गयी।**

**बिन्दु सं0–2**

**एटा–** दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक "शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना" (SUH) के अन्तर्गत एटा में शहीद पार्क के पास नये निर्माण की स्वीकृति परियोजना को निरस्त करने पर विचार।

**टिप्पणी–** दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक "शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना" (SUH) के अन्तर्गत राज्य परियोजना स्वीकृति समिति की सातवीं बैठक दिनांक 21.05.2015 में क्रमांक–6 पर शेल्टर होम के निर्माण और संचालन तथा प्रबन्धन हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार स्वीकृति प्रदान की गई थी:–

**(धनराशि रू0 लाख में)**

| क्र0 सं0 | स्थल का नाम | प्रकार | क्षमता | निर्माण लागत | संचालन व्यवस्था लागत 5 वर्षों हेतु | प्रस्तावित कुल लागत | अवमुक्त प्रथम किश्त की धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | शहीद पार्क | नया निर्माण | 70 | 176.58 | 40.00 | 216.58 | 70.632 |

समिति को अवगत कराया गया कि परियोजना अधिकारी डूडा–एटा के पत्र सं0–570/डूडा–एटा/2016–17 दिनांक 28.03.2017 द्वारा अवगत कराया गया है कि क्रमांक 6 पर अंकित एटा के शहीद पार्क के पास 70 शहरी बेघरों हेतु रू0 176.58 लाख की परियोजना स्वीकृत की गयी थी, जिसके सापेक्ष रू0 70.63 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी गयी थी, जो दिनांक 04.09.15 को कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 जल निगम युनिट–08 आगरा को प्रेषित कर दी गयी। कार्यदायी संस्था द्वारा नगर पालिका परिषद एटा द्वारा उपलब्ध करायी गयी भूमि जी0टी0 रोड स्थित शहीद पार्क एटा पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया गया किन्तु जनपद के व्यापार मण्डल के कुछ पदाधिकारियों द्वारा उक्त शेल्टर होम निर्माण कार्य के विरूद्ध सिविल जज (जू0डि0)एटा के यहां वाद दायर किया गया, जिस पर सिविल जज (जू0डि0) एटा द्वारा दिनांक 20.11.15 को अग्रिम आदेशों तक निर्माण कार्य रोके जाने के निर्देश प्रदान किये गये। जिसकी वास्तविक तथ्यों के साथ नियमित रूप से पैरवी की गयी। सिविल जज (जू0डि0) एटा द्वारा दिनांक 14.09.2016 को विभाग के पक्ष में आदेश पारित करते हुये निर्माण कार्य पर लगी रोक हटा दी गयी।

बैठक में परियोजना अधिकारी डूडा एटा द्वारा बताया गया कि उक्त निर्माण उन्ही व्यक्तियों द्वारा जनपद न्यायाधीश के यहां दिनांक 04.10.16 को पुनः निर्माण कार्य पर रोक लगाने के लिये अपील कर दी गयी, तथा 10 से अधिक तिथियों पर पुनः सुनवाई हुई तथा जनपद न्यायाधीश के समक्ष पुनः पैरवी की गई परन्तु विगत में जनपद न्यायाधीश द्वारा उक्त स्थल को पार्क का बताते हुए अन्तिम रूप से निर्णय कर उक्त भूमि पर शेल्टर होम बनाने से मना कर दिया गया है।

**निर्णय– उपरोक्तानुसार विचार विमर्श उपरान्त एटा हेतु पूर्व में आश्रय गृह के नये निर्माण की स्वीकृति परियोजना को निरस्त किया गया।**

**सिद्धार्थनगर–** दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक "शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना" (SUH) के अन्तर्गत सिद्धार्थनगर में आश्रय गृह के नये निर्माण की स्वीकृति के निरस्तीकरण पर विचार।

**टिप्पणी–** दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक "शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना" (SUH) के अन्तर्गत राज्य परियोजना स्वीकृति समिति की नवीं बैठक दिनांक 02.02.2016 में सिद्धार्थनगर के निर्माण और संचालन तथा प्रबन्धन हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार स्वीकृति प्रदान की गई थी:–

**(धनराशि रू0 लाख में)**

| क्र0 सं0 | स्थल का नाम | प्रकार | क्षमता | निर्माण लागत | संचालन व्यवस्था लागत 5 वर्षों हेतु | प्रस्तावित कुल लागत | अवमुक्त प्रथम किश्त की धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सरजू नगर | नया निर्माण | 38 | 112.18 | 40.00 | 152.18 | 44.872 |

बैठक में परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी/अध्यक्ष डूडा–सिद्धार्थनगर के पत्र सं0– 285/डूडा/ आश्रय योजना/2016–17 दिनांक 04.03.2017 को इस सम्बन्ध में सूचित किया गया है कि भूमि विवाद हो जाने के कारण उपरोक्त भूमि पर निर्माण कार्य न करने के सम्बन्ध में जनपद द्वारा स्टे दिया गया है, जिसकी सुनवाई न्यायालय में चल रही है। आश्रय निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गयी भूमि विवादित होने के कारण आश्रय निर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है जबकि निरन्तर पैरवी की जा रही है। परन्तु विवाद पर निर्णय नहीं हो पा रहा है। न्यायालय में सुनवाई चल रही है। दिनांक 02.03.2015 को धनराशि अवमुक्त के उपरान्त भी निर्माण कार्य प्रारम्भ न हो पाने के दृष्टिगत इस कार्यालय के पत्र सं0– 104/241/NULM/तीन/2001(SUH) दिनांक 27.01.2017 द्वारा प्रथम किश्त की धनराशि मय ब्याज सूडा को वापस कर दी गयी है।

निर्णय– **उपरोक्तानुसार सिद्धार्थनगर हेतु पूर्व में आश्रय गृह के नये निर्माण की स्वीकृति परियोजना को निरस्त किया गया तथा आश्रय गृह के निर्माण हेतु अन्य स्थल का चयन कर प्रस्ताव डी0पी0आर0 प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।**

बाराबंकी– दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक "शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना" (SUH) के अन्तर्गत बाराबंकी में आश्रय गृह के नये निर्माण हेतु प्राप्त स्वीकृति के निरस्तीकरण पर विचार।

टिप्पणी– दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक "शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना" (SUH) के अन्तर्गत राज्य परियोजना स्वीकृति समिति की नवीं बैठक दिनांक 02.02.2016 में बाराबंकी के निर्माण और संचालन तथा प्रबन्धन हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार स्वीकृति प्रदान की गई थी:–

**(धनराशि रू0 लाख में)**

| क्र0 सं0 | स्थल का नाम | प्रकार | क्षमता | निर्माण लागत | संचालन व्यवस्था लागत 5 वर्षों हेतु | प्रस्तावित कुल लागत | अवमुक्त प्रथम किश्त की धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मोहल्ला बेगमगंज | नया निर्माण | 100 | 222.87 | 60.00 | 282.87 | 89.148 |

परियोजना अधिकारी डूडा–बाराबंकी द्वारा अवगत कराया गया है कि पत्र सं0–159/डूडा/2016–17 दिनांक 23.01.2017 द्वारा अवगत कराया गया है कि नगर पालिका परिषद नवाबगंज बाराबंकी द्वारा उपलब्ध करायी गयी भूमि पर अतिक्रमण होने तथा अद्यतन योजनान्तर्गत उपयुक्त भूमि न मिल पाने के कारण अवमुक्त धनराशि रू0 89.148 लाख चेक सं0– 037431 दिनांक 20.01.2017 इलाहाबाद बैंक के माध्यम से सूडा मुख्यालय को वापस कर दी गयी है परन्तु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष ब्याज की धनराशि वापस नहीं की गई है।

निर्णय– **इस प्रकार विचार विमर्श उपरान्त नगर पालिका परिषद बाराबंकी हेतु पूर्व में स्वीकृत आश्रय गृह के नये निर्माण की परियोजना को निरस्त किया गया तथा निर्देशित किया गया कि परियोजना अधिकारी डूडा बाराबंकी तत्काल ब्याज की धनराशि सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध करायें।**

मेरठ– दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक "शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना" (SUH) के अन्तर्गत मेरठ के मलियाना में आश्रय गृह के नये निर्माण हेतु प्राप्त स्वीकृति के निरस्तीकरण पर विचार।

टिप्पणी– दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक "शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना" (SUH) के अन्तर्गत राज्य परियोजना स्वीकृति समिति की नवीं बैठक दिनांक 02.02.2016 में मेरठ के मलियाना में निर्माण और संचालन तथा प्रबन्धन हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार स्वीकृति प्रदान की गई थी:–

(धनराशि रू0 लाख में)

| क्र0 सं0 | स्थल का नाम | प्रकार | क्षमता | निर्माण लागत | संचालन व्यवस्था लागत 5 वर्षों हेतु | प्रस्तावित कुल लागत | अवमुक्त प्रथम किश्त की धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मलियाना | नया निर्माण | 80 | 193.66 | 48.00 | 241.66 | 77.464 |

परियोजना अधिकारी डूडा–मेरठ द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि पत्र सं0–383/डूडा–मेरठ/17–18 दिनांक 20.07.2017 द्वारा सूडा मुख्यालय के पत्र सं0–104/241/NULM/तीन/2001(SUH) दिनांक 27.01.2017 के अनुक्रम में भूमि विवादित होने के कारण निर्माण कार्य न हो पाने की दशा में अवमुक्त धनराशि ब्याज सहित सूडा को वापस करने हेतु दिये गये निर्देश के अनुक्रम में अवमुक्त धनराशि रू0 77.464 लाख एवं ब्याज रू0 292271.00 कुल 8038671.00 की धनराशि उल्लिखित पत्र के माध्यम से वापस कर दी गयी है।

निर्णय– **भूमि विवादित होने के दृष्टिगत विचार विमर्श उपरान्त नगर निगम मेरठ क्षेत्रान्तर्गत मलियाना में आश्रय गृह के नये निर्माण की पूर्व में स्वीकृत परियोजना को निरस्त किया गया।**

बिन्दु सं0–3 दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक "शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना" (SUH) के अन्तर्गत निम्नलिखित नगरों में शेल्टर होम निर्माण/उच्चीकरण की प्राप्त डी0पी0आर0 की स्वीकृति हेतु राज्य परियोजना स्वीकृति समिति के समक्ष निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गयाः–

(धनराशि रू0 लाख में )

| क्र0 सं0 | प्रस्तावित निर्माण/उच्चीकृत किये जाने वाले शेल्टर के स्थल का नाम | आश्रय का प्रकार | तल का विवरण | आश्रय की क्षमता | निर्माण क्षे0 (वर्गमी0 में) | प्रस्तावित निर्माण लागत | संचालन प्रबन्धन हेतु धनराशि | कुल प्रस्तावित लागत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | **इलाहाबाद** | | | | | | | |
| 1 | 1. बी0एस0एन0एल0 आफिस के पास, बाघम्बरी गद्दी रोड | नया निर्माण | G+2 | 117 | 1608.36 | 329.77 | 80.71 | 410.48 |
| 2 | 2. जोन का0 अल्लापुर | नया निर्माण | G+2 | 50 | 506.49 | 102.64 | 41.42 | 144.06 |
| 3 | 3. मुण्डेरा चुंगी बाजार, जी0टी0 रोड | उच्चीकरण | FF | 30 | 260.30 | 23.13 | 29.74 | 52.87 |
| 4 | 4. नुरूल्ला रोड | उच्चीकरण | G+1 | 55 | 724.57 | 40.91 | 44.96 | 85.87 |
| 5 | 5. यमुना बैंक रोड, डूडा कार्यालय | उच्चीकरण | G+2 | 40 | 461.67 | 40.48 | 35.40 | 75.88 |
| 6 | 6. लीडर रोड–7, रेलवे स्टेशन के सामने | उच्चीकरण | G+1 | 36 | 348.78 | 30.07 | 30.09 | 60.16 |
| II | आगरा | | | | | | | |
| 7 | पीर कल्याणी | उच्चीकरण | G+2 | 35 | 525 | 20.87 | 21.00 | 41.87 |
| III | एटा | | | | | | | |
| 8 | जिला अस्पताल | नया निर्माण | G+3 | 35 | 502.46 | 133.73 | 27.45 | 161.18 |
| 9 | शाहजहांपुर | नया निर्माण | G+3 | 50 | 544.19 | 163.28 | 35.00 | 198.28 |

**उपरोक्त प्रस्तावों पर सम्बन्धित डूडा एवं कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 के प्रतिनिधियों द्वारा राज्य परियोजना स्वीकृति समिति के सम्मुख विचार विमर्श एवं स्वीकृति हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गयाः–**

**3.1 इलाहाबादः–** बी0एस0एन0एल0 आफिस के पास बागम्बरी गद्दी रोड, इलाहाबाद।

i) नगर निगम–इलाहाबाद के बी0एस0एन0एल0 आफिस के पास बागम्बरी गद्दी रोड पर शहरी बेघरों के लिए शेल्टर होम निर्मित कर संचालन के सम्बन्ध में प्रस्ताव परियोजना अधिकारी, डूडा–इलाहाबाद के पत्र सं0– 398/17–रै0बसेरा दिनांक 12.09.17 द्वारा प्रस्तुत किया गया है एवं समिति को अवगत कराया गया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत हैः–

| | | |
|---|---|---|
| (क) | प्रस्तावित शेल्टर होम हेतु शहरी बेघरों की संख्या | – 117 |
| (ख) | शेल्टर होम का प्रकार | – नया निर्माण (G+2) |
| (ग) | निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (Built up Area) | – 1608.36 वर्गमीटर |
| (घ) | शेल्टर होम हेतु प्रस्तावित लागत | |
| | 1. निर्माण कार्यों हेतु लागत रू0 | – 329.77 लाख |
| | 2. संचालन व्यवस्था (5 वर्षों हेतु) रू0 | – 80.71 लाख |
| | **योग** | – **410.48 लाख** |

ii) **योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट प्लिन्थ एरिया रेट 2015 पर एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा। प्रस्तुत आगणन यू0पी0 पी0डब्लू0डी0 द्वारा जी0एस0टी0 लागू होने के उपरान्त निर्गत दिशा निर्देश पत्र सं0–632 दिनांक 26.08.17 के अनुसार किया गया है। यू0पी0 पी0डब्लू0डी0 द्वारा जी0एस0टी0 लागू होने के उपरान्त दरों का पुनरीक्षण किया जा रहा है, जिसके निर्गत होने के उपरान्त तद्नुसार कार्यवाही अपेक्षित होगी।**

iii) शहरी बेघरों के आश्रय हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव में तकनीकी प्राकलन (Estimate), लेआउट एवं निर्मित की जाने वाली भौतिक सुविधाओं एवं डिजाइन का संक्षिप्त उल्लेख किया गया है।

iv) डी0पी0आर0 में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सुचारू रूप से संचालन रणनीति एवं प्रबंधन व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का भी उल्लेख नहीं किया गया है।

v) प्रस्ताव में प्रस्तावित स्थल का फोटोग्राफ संलग्न है, जिसके अनुसार पुराने निर्मित जर्जर शेल्टर होम को तोड़कर नया शेल्टर होम बनाये जाने का प्रस्ताव है, जिसके दृष्टिगत पुराने शेल्टर होम को तोड़ने आदि की नियमानुसार कार्यवाही किया जाना होगा।

vi) प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण करते हुए अवगत कराया गया है कि शेल्टर होम का निर्माण 12 माह यानि एक वर्ष में पूर्ण किया जायेगा।

vii) प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम के 5 वर्षों उपरान्त नगरीय निकाय द्वारा अपने संसाधनों से संचालन किये जाने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया है।

viii) प्रस्तुतीकरण करते हुए सी0एण्ड डी0एस0 प्रतिनिधि एवं श्री राजकुमार द्विवेदी शहर मिशन प्रबंधक सी0एम0एम0यू0 डूडा इलाहाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित स्थल कुम्भ मेला प्रांगण के लगभग 01 किलोमीटर की दूरी पर है जो कि कुम्भ के समय श्रद्धालुओं एवं आस पास के शहरी बेघरों के आश्रय हेतु उपयुक्त स्थल है।

ix) अवगत कराया गया कि उक्त प्रस्तावित शेल्टर होम का निर्माण पुराने निर्मित जर्जर शेल्टर होम को तोड़कर किया गया है। इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराया गया कि जर्जर शेल्टर होम को तोड़ने का कार्य नियमानुसार किया गया है।

x) प्रस्तुतीकरण के सम्बन्ध में श्री अरूण राणा हडको प्रतिनिधि भारत सरकार द्वारा टिप्पणी की गयी कि इलाहाबाद हेतु 02 नये निर्माण के प्रस्तावों में प्रस्तावित प्रति व्यक्ति लागत भिन्न–भिन्न है, जो क्षमता के परिप्रेक्ष्य में अधिक प्रतीत होता है जिसके सम्बन्ध में सी0एण्ड डी0एस0 प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि कुम्भ के दृष्टिगत प्रस्तावित प्रस्ताव प्लिन्थ एरिया रेट 2015 एवं नॉन शेडयूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है जिसकी स्वाइल टेस्टिंग करायी गयी है, रिपोर्ट अपेक्षित है। रिपोर्ट आने पर तदानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

**राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त इलाहाबाद के बी0एस0एन0एल0 आफिस के पास बागम्बरी रोड इलाहाबाद से उपरोक्त** बिन्दुओं के आधार पर प्राप्त इस्टीमेट के प्लिन्थ एरिया रेट आधार पर गठित होने के दृष्टिगत कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0 एस0 द्वारा विस्तृत आगणन गठित करते हुए वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित करने की शर्त के साथ **निम्नलिखित शर्तों के साथ 01 नये शेल्टर होम के निर्माण एवं 05 वर्षों के संचालन हेतु स्वीकृति प्रदान की गयीः–**

(क) **निर्माण कार्य हेतु निर्माण लागत धनराशि रू0 329.77 लाख योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर निर्णय इस प्रतिबंध के साथ की गयी है कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना वार चार्ट सहित कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को शहर मिशन प्रबन्धन इकाई, डूडा के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र, टास्कफोर्स की निरीक्षण आख्या एवं फोटोग्राफ तथा निर्धारित प्रारूप पर वित्तीय एवं भौतिक प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने पर अवमुक्त किया जायेगा।**

(ख) **शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगर निगम/शहर मिशन प्रबंधन इकाई डूडा को उक्त प्रस्ताव के अनुसार आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति का गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का विवरण के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन एवं उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने का दिशा निर्देशों के अनुसार विवरण एवं संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा।**

(ग) **शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त निर्माण कार्य पूर्ण होने के प्रमाण पत्र, हस्तगत प्रमाण पत्र, निर्मित शेल्टर होम का फोटोग्राफ एवं संचालन व्यवस्था का विवरण उपलब्ध कराने के उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि अवमुक्त किया जायेगा।**

(घ) **प्रस्ताव के अनुसार पुराने निर्मित जर्जर शेल्टर होम को तोड़कर नया शेल्टर होम बनाये जाने के प्रस्ताव के दृष्टिगत पुराने शेल्टर होम को तोड़ने आदि की नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपरिहार्य होगा।**

(ड़) **निर्मित किये जाने वाले शेल्टर में प्रस्तावित लागत से बचत कर मनोरंजन आदि हेतु अनिवार्य रूप से एल0ई0डी0 टी0वी0 भी लगाया जाये।**

(च) **हडको प्रतिनिधि भारत सरकार द्वारा की गयी टिप्पणी के अनुक्रम में स्वाइल टेस्टिंग के उपरान्त नियमानुसार सी0एण्ड डी0एस0 को विस्तृत आगणन का गठन कर उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा, जिसमें प्रति व्यक्ति क्षमता के परिप्रेक्ष्य में लागत का आंकलन भी नियमानुसार किया जायेगा एवं अनुपालन आख्या सक्षम स्तर से इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।**

(च) **निर्माण कार्य को पूर्ण किये जाने की समय सीमा 12 माह होगी।**

(छ) **अर्द्ध कुम्भ 2019 के दृष्टिगत निर्धारित समय सीमा के अन्दर शेल्टर होम का निर्माण कार्य प्रत्येक दशा में पूर्ण किया जाना अपरिहार्य होगा।**

उक्त शर्तों के अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा बी0एस0एन0एल0 आफिस के पास बागम्बरी गद्दी रोड, इलाहाबाद हेतु 117 व्यक्तियों की क्षमता वाले नये शेल्टर होम निर्माण के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

3.2 **इलाहाबाद** – नगर निगम जोन–3 कार्यालय प्रांगण अल्लापुर, इलाहाबाद।

i) नगर निगम जोन–3 कार्यालय प्रांगण आलापुर, इलाहाबाद में शहरी बेघरों के लिए शेल्टर होम निर्मित कर संचालन हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव परियोजना अधिकारी, डूडा–इलाहाबाद के पत्र सं0–398/17–रै0बसेरा दिनांक 12.09.17 द्वारा प्रस्तुत किया गया है एवं समिति को अवगत कराया गया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:–

| | | |
|---|---|---|
| (क) | प्रस्तावित शेल्टर होम हेतु शहरी बेघरों की संख्या | – 50 |
| (ख) | शेल्टर होम का प्रकार | – नया निर्माण (G+ 2) |
| (ग) | निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (Built up Area) | – 506.49 वर्गमीटर |
| (घ) | शेल्टर होम हेतु प्रस्तावित लागत | |
| | 1. निर्माण कार्यों हेतु लागत रू0 | – 102.64 लाख |
| | 2. संचालन व्यवस्था (5 वर्षों हेतु) रू0 | – 41.42 लाख |
| | **योग** | – **144.06 लाख** |

(ii) **योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट प्लिन्थ एरिया रेट 2015 पर एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा। प्रस्तुत आगणन यू0पी0 पी0डब्लू0डी0 द्वारा जी0एस0टी0 लागू होने के उपरान्त निर्गत दिशा निर्देश पत्र सं0–632 दिनांक 26.08.17 के अनुसार किया गया है। यू0पी0 पी0डब्लू0डी0 द्वारा जी0एस0टी0 लागू होने के उपरान्त दरों का पुनरीक्षण किया जा रहा है, जिसके निर्गत होने के उपरान्त तद्नुसार कार्यवाही अपेक्षित होगी।**

(iii) शहरी बेघरों के आश्रय हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव में तकनीकी प्राकलन (Estimate), लेआउट एवं निर्मित की जाने वाली भौतिक सुविधाओं एवं डिजाइन का संक्षिप्त उल्लेख किया गया है।

(iv) डी0पी0आर0 में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सुचारू रूप से संचालन रणनीति एवं प्रबंधन व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का भी उल्लेख नहीं किया गया है।

(v) प्रस्ताव में प्रस्तावित स्थल का फोटोग्राफ संलग्न है, जिसके अनुसार पुराने निर्मित जर्जर शेल्टर होम को तोड़कर नया शेल्टर होम बनाये जाने का प्रस्ताव है, जिसके दृष्टिगत पुराने शेल्टर होम को तोड़ने आदि की नियमानुसार कार्यवाही किया जाना होगा।

(vi) प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम के 5 वर्षों उपरान्त नगरीय निकाय द्वारा अपने संसाधनों से संचालन किये जाने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया है।

vii) प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण करते हुए बार चार्ट के माध्यम से अवगत कराया गया है कि शेल्टर होम का निर्माण 12 माह यानि एक वर्ष में पूर्ण किया जायेगा।

viii) प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम के 5 वर्षों उपरान्त नगरीय निकाय द्वारा अपने संसाधनों से संचालन किये जाने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया है।

ix) प्रस्तुतीकरण करते हुए सी0एण्ड डी0एस0 प्रतिनिधि एवं शहर मिशन प्रबंधक सी0एम0एम0यू0 डूडा इलाहाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित स्थल कुम्भ मेला प्रांगण के लगभग 01 किलोमीटर की दूरी पर है जो कि कुम्भ के समय श्रद्धालुओं एवं आस पास के शहरी बेघरों के आश्रय हेतु उपयुक्त स्थल है।

x) अवगत कराया गया कि उक्त प्रस्तावित शेल्टर होम का निर्माण पुराने निर्मित जर्जर शेल्टर होम को तोड़कर किया गया है। इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराया गया कि जर्जर शेल्टर होम को तोड़ने का कार्य नियमानुसार किया गया है।

xi) प्रस्तुतीकरण के सम्बन्ध में श्री अरूण राणा हडको प्रतिनिधि द्वारा टिप्पणी की गयी कि इलाहाबाद हेतु 02 नये निर्माण के प्रस्तावों में प्रस्तावित प्रति व्यक्ति लागत भिन्न–भिन्न है, जो क्षमता के परिप्रेक्ष्य में अधिक प्रतीत होता है जिसके सम्बन्ध में सी0एण्ड डी0एस0 प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि कुम्भ के दृष्टिगत प्रस्तावित प्रस्ताव प्लिन्थ एरिया रेट 2015 एवं नॉन शेडयूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है जिसकी स्वाइल टेस्टिंग करायी गयी है, जिसकी रिपोर्ट अपेक्षित है। रिपोर्ट आने पर तदानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त इलाहाबाद के नगर निगम जोन–3 के प्रांगण हेतु उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर प्राप्त इस्टीमेट के प्लिन्थ एरिया रेट आधार पर गठित होने के दृष्टिगत कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0 एस0 द्वारा विस्तृत आगणन गठित करते हुए वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित करने की शर्त के साथ निम्नलिखित शर्तों के साथ 01 नये शेल्टर होम के निर्माण एवं 05 वर्षों के संचालन हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी:–

**(क). निर्माण कार्य हेतु निर्माण लागत धनराशि रू0 102.64 लाख योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर निर्णय हेतु संस्तुति इस आधार पर की गयी है कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना वार चार्ट सहित कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को नगर निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई, डूडा के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र, टास्कफोर्स की निरीक्षण आख्या एवं फोटोग्राफ तथा निर्धारित प्रारूप पर वित्तीय एवं भौतिक प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने पर अवमुक्त किया जायेगा।**

**(ख) शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगर निगम/शहर मिशन प्रबंधन इकाई डूडा को उक्त प्रस्ताव के अनुसार आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति का गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का विवरण के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन एवं उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने का दिशा निर्देशों के अनुसार विवरण एवं संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा।**

**(ग) शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त निर्माण कार्य पूर्ण होने के प्रमाण पत्र, हस्तगत प्रमाण पत्र, निर्मित शेल्टर होम का फोटोग्राफ एवं संचालन व्यवस्था का विवरण उपलब्ध कराने के उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि अवमुक्त किया जायेगा।**

**(घ) प्रस्ताव के अनुसार पुराने निर्मित जर्जर शेल्टर होम को तोड़कर नया शेल्टर होम बनाये जाने के प्रस्ताव के दृष्टिगत पुराने शेल्टर होम को तोड़ने आदि की नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपरिहार्य होगा।**

**(ड़) हडको प्रतिनिधि भारत सरकार द्वारा की गयी टिप्पणी के अनुक्रम में स्वाइल टेस्टिंग के उपरान्त नियमानुसार सी0एण्ड डी0एस0 को विस्तृत आगणन का गठन कर उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा, जिसमें प्रति व्यक्ति क्षमता के परिप्रेक्ष्य में लागत का आंकलन भी नियमानुसार किया जायेगा एवं अनुपालन आख्या सक्षम स्तर से इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।**

(च) प्रस्तावित प्रस्ताव के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि सी0एण्ड डी0एस0 प्रतिनिधि/आर्किटेक्ट स्वयं प्रस्तावित स्थल का भ्रमण कर प्रस्तावित डिजाइन को पुनः देख लें तथा निर्माण किये जाने वाले शेल्टर होम की निकासी जोन आफिस प्रांगण के स्थान पर अलग से बाहर की ओर किये जाने का प्राविधान करते हुए डिजाइन में अपेक्षित संशोधन कर लिया जाय।

(छ) निर्मित किये जाने वाले शेल्टर में प्रस्तावित लागत से बचत कर मनोरंजन आदि हेतु अनिवार्य रूप से एल0ई0डी0 टी0वी0 भी लगाया जाये।

(ज) निर्माण कार्य को पूर्ण किये जाने की समय सीमा 12 माह होगी।

(झ) अर्द्ध कुम्भ 2019 के दृष्टिगत निर्धारित समय सीमा के अन्दर शेल्टर होम का निर्माण कार्य प्रत्येक दशा में पूर्ण किया जाना अपरिहार्य होगा।

उक्त शर्तों के अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा नगर निगम जोन–3 कार्यालय प्रांगण अल्लापुर, इलाहाबाद हेतु 50 व्यक्तियों की क्षमता वाले नये शेल्टर होम निर्माण के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

3.3–3.6 नगर निगम इलाहाबाद में पूर्व से संचालित शेल्टर होम्स को उच्चीकृत कर संचालन किये जाने हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव परियोजना अधिकारी, डूडा के पत्र सं0– 398/17–रै0बसेरा दिनांक 12.09.17 द्वारा प्रस्तुत किया गया है एवं समिति को अवगत कराया गया, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:–

**(धनराशि रू0 लाख में)**

| क्र0 सं0 | प्रस्तावित **उच्चीकृत** किये जाने वाले शेल्टर के स्थल का नाम | तल का विवरण | आश्रय की क्षमता | निर्माण क्षे0 (वर्गमी0 में) | प्रस्तावित निर्माण लागत | संचालन प्रबन्धन हेतु धनराशि | कुल प्रस्तावित लागत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मुण्डेरा चुंगी बाजार, जी0टी0 रोड | G+1 | 30 | 260.30 | 23.13 | 29.74 | 52.87 |
| 2 | नुरूल्ला रोड | G+1 | 55 | 724.57 | 40.91 | 44.96 | 85.87 |
| 3 | यमुना बैंक रोड, डूडा कार्यालय | G+2 | 40 | 461.67 | 40.48 | 35.40 | 75.88 |
| 4 | लीडर रोड–7, रेलवे स्टेशन के सामने | G+1 | 36 | 348.78 | 30.07 | 30.09 | 60.16 |

ii) **योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित उल्लिखित तालिका में अंकित सभी प्रस्तावों में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट प्लिन्थ एरिया रेट 2015 पर एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा। प्रस्तुत आगणन यू0पी0 पी0डब्लू0डी0 द्वारा जी0एस0टी0 लागू होने के उपरान्त निर्गत दिशा निर्देश पत्र सं0–632 दिनांक 26.08.17 के अनुसार किया गया है। यू0पी0 पी0डब्लू0डी0 द्वारा जी0एस0टी0 लागू होने के उपरान्त दरों का पुनरीक्षण किया जा रहा है, जिसके निर्गत होने के उपरान्त तद्नुसार कार्यवाही अपेक्षित होगी।**

iii) शहरी बेघरों के आश्रय हेतु उक्त प्राप्त सभी प्रस्तावों में तकनीकी प्राकलन (Estimate), लेआउट एवं निर्मित की जाने वाली भौतिक सुविधाओं एवं डिजाइन का संक्षिप्त उल्लेख किया गया है।

iv) उच्चीकरण की उक्त प्राप्त प्रस्तावों में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सुचारू रूप से संचालन रणनीति एवं प्रबन्धन व्यवस्था, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा आश्रय गृह में

रहने वालों के लिए नियमावली का उल्लेख किया गया है। अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का भी उल्लेख किया गया है।

v) उक्त प्राप्त सभी प्रस्तावों में नगर आयुक्त, इलाहाबाद द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है, जिसमें उल्लिखित है कि निर्मित शेल्टर होम के अपग्रेडेशन के उपरान्त 5 वर्षों तक केन्द्र सरकार के सहयोग से प्रचलन करने के उपरान्त स्वयं के संसाधनों द्वारा आगे भी संचालित किया जाता रहेगा।

vi) प्राप्त सभी प्रस्तावों में निर्मित शेल्टर होम का फोटोग्राफ संलग्न है।

vii) प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण करते हुए बार चार्ट के माध्यम से अवगत कराया गया कि सभी शेल्टर होम के उच्चीकरण का निर्माण कार्य 04 माह में पूर्ण कर लिया जायेगा।

viii) अवगत कराया गया कि उल्लिखित सभी शेल्टर होम वर्तमान में संचालित हैं, परन्तु मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में संचालित शेल्टर होम्स में दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजना के दिशा निर्देशों में उल्लिखित सेवाओं, सुविधाओं एवं मानकों के अनुरूप शेल्टर्स को संचालित किये जाने के दृष्टिगत उच्चीकरण प्रस्तावित है।

ix) अवगत कराया गया कि सभी शेल्टर्स उपयुक्त स्थलों पर निर्मित हैं जहां शहरी बेघरों की पहुंच आसानी से सुगम है। सार्वजनिक आवागमन की सुविधा भी उपलब्ध है।

राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त नगर निगम इलाहाबाद द्वारा संचालित शेल्टर होम्स के उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर प्राप्त इस्टीमेट के पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस0ओ0आर0), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित होने के दृष्टिगत कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0 एस0 द्वारा वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किये जाने की शर्त के साथ ही नीचे तालिका में उल्लिखित लागत एवं शर्तों के साथ उच्चीकरण किये जाने एवं 05 वर्षों हेतु संचालन की स्वीकृति प्रदान की गयी है:–

**(धनराशि रू0 लाख में)**

| क्र0 सं0 | प्रस्तावित निर्माण /उच्चीकृत किये जाने वाले शेल्टर के स्थल का नाम | प्रस्तावित निर्माण लागत | संचालन प्रबन्धन हेतु धनराशि | कुल प्रस्तावित लागत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मुण्डेरा चुंगी बाजार, जी0टी0 रोड | 23.13 | 29.74 | 52.87 |
| 2 | नुरूल्ला रोड | 40.91 | 44.96 | 85.87 |
| 3 | यमुना बैंक रोड, डूडा कार्यालय | 40.48 | 35.40 | 75.88 |
| 4 | लीडर रोड–7, रेलवे स्टेशन के सामने | 30.07 | 30.09 | 60.16 |

**(क) उपरोक्तानुसार निर्माण लागत की धनराशि योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने के स्थान पर दो समान किश्तों (50%, एवं 50%) में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन के पत्रांक 8/2017/बी0–1–1190/दस–2017–231/2017 दिनांक 03.08.2017 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार रू0 100 लाख से कम की परियोजनाओं हेतु एकमुश्त धनराशि अवमुक्त की जा सकती है के दृष्टिगत अर्ध कुम्भ 2019 को ध्यान में रखते हुये अवमुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया।**

**(ख) परियोजना के उच्चीकरण की लागत की प्रथम किश्त 50% धनराशि अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण/उच्चीकरण की विस्तृत समय सारणी एवं कार्य योजना वार चार्ट सहित कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को शहर मिशन प्रबन्धन इकाई, डूडा के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र, टास्कफोर्स की निरीक्षण**

आख्या एवं फोटोग्राफ तथा निर्धारित प्रारूप पर वित्तीय एवं भौतिक प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने पर अवमुक्त किया जायेगा।

(ग) शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगर निगम/शहर मिशन प्रबंधन इकाई डूडा को उक्त प्रस्ताव के अनुसार सभी आश्रयों में रहने वालों हेतु पृथक–पृथक नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति का गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का विवरण के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन एवं उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने का दिशा निर्देशों के अनुसार विवरण एवं संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा।

(घ) शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त निर्माण कार्य पूर्ण होने के प्रमाण पत्र, हस्तगत प्रमाण पत्र, निर्मित शेल्टर होम का फोटोग्राफ एवं संचालन व्यवस्था का विवरण उपलब्ध कराने के उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि अवमुक्त किया जायेगा।

(ड़) शेल्टर होम के उच्चीकरण से पूर्व शेल्टर होम में लगे पंखे, दरवाजे, खिड़कियां आदि का भौतिक सत्यापन स्थानीय तकनीकी अधिकारियों द्वारा किया जायेगा तथा आवश्यक होने पर ही उन्हें बदलने का कार्य किया जायेगा एवं अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

(च) उच्चीकृत किये जाने वाले शेल्टर में प्रस्तावित लागत से बचत कर मनोरंजन आदि हेतु अनिवार्य रूप से एल0ई0डी0 टी0वी0 भी लगाया जाये।

(छ) उच्चीकृत किये जाने वाले सभी शेल्टर्स में पर्याप्त संख्या में उपयोग किये जाने वाले शौंचालयों का निर्माण ठीक प्रकार से किया जाये।

(ज) सभी शेल्टर होम में उच्चीकरण कार्य पूर्ण किये जाने की समय सीमा 04 माह होगी।

(झ) अर्द्ध कुम्भ 2019 के दृष्टिगत निर्धारित समय सीमा के अन्दर शेल्टर होम का निर्माण कार्य प्रत्येक दशा में पूर्ण किया जाना अपरिहार्य होगा।

उक्त शर्तों के अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा नगर निगम इलाहाबाद द्वारा निर्मित उल्लिखित चारों शेल्टर होम्स को उच्चीकृत किये जाने एवं 05 वर्षों तक संचालन किये जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

3.7 आगरा– पीर कल्यानी, आगरा

i) नगर निगम आगरा, पीर कल्यानी में पूर्व से संचालित शेल्टर होम्स को उच्चीकृत कर संचालन किये जाने हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव जिलाधिकरी/अध्यक्ष, डूडा के पत्र सं0– 435/डी/डूडा/ 2017–18 दिनांक 29.08.17 द्वारा प्रस्तुत किया गया है एवं समिति को अवगत कराया गया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:–

| | | |
|---|---|---|
| (क) प्रस्तावित शेल्टर होम हेतु शहरी बेघरों की संख्या | – | 35 |
| (ख) शेल्टर होम का प्रकार | – | उच्चीकरण (G+ 2) |
| (ग) निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (Built up Area) | – | 525.00 वर्गमीटर |
| (घ) शेल्टर होम हेतु प्रस्तावित लागत | | |
| 1. निर्माण कार्यों हेतु लागत रू0 | – | 20.87 लाख |
| 2. संचालन व्यवस्था (5 वर्षों हेतु) रू0 | – | 21.00 लाख |
| **योग** | – | **41.87 लाख** |

ii) योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा। प्रस्तुत आगणन यू0पी0 पी0डब्लू0डी0 द्वारा जी0एस0टी0 लागू होने के उपरान्त निर्गत दिशा निर्देश पत्र सं0–632 दिनांक 26.08.17 के अनुसार

**किया गया है। यू0पी0 पी0डब्लू0डी0 द्वारा जी0एस0टी0 लागू होने के उपरान्त दरों का पुनरीक्षण किया जा रहा है, जिसके निर्गत होने के उपरान्त तद्नुसार कार्यवाही अपेक्षित होगी।**

iii) शहरी बेघरों के आश्रय हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव में तकनीकी प्राकलन (Estimate), लेआउट एवं निर्मित की जाने वाली भौतिक सुविधाओं एवं डिजाइन का संक्षिप्त उल्लेख किया गया है।

iv) डी0पी0आर0 में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सुचारू रूप से संचालन रणनीति एवं प्रबंधन व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया गया है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का भी उल्लेख नहीं किया गया है।

v) उच्चीकृत किये जाने वाले शेल्टर होम का फोटोग्राफ संलग्न है।

vi) प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण करते हुए बार चार्ट के माध्यम से अवगत कराया गया है कि शेल्टर होम के उच्चीकरण का कार्य 06 माह में पूर्ण किया जायेगा।

vii) प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम के 5 वर्षों उपरान्त नगरीय निकाय द्वारा अपने संसाधनों से संचालन किये जाने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया है।

viii) प्रस्तुतीकरण करते हुए सी0एण्ड डी0एस0 प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उच्चीकरण हेतु प्रस्तावित शेल्टर होम राजा मण्डी रेलवे स्टेशन, पीर कल्यानी एवं राजा मण्डी बाजार के समीप है जहां शहरी बेघर काफी संख्या में पाये जाते हैं, जिसके दृष्टिगत उक्त शेल्टर होम को उच्चीकृत किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त नगर निगम आगरा द्वारा पीर कल्यानी में संचालित शेल्टर होम्स के उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर प्राप्त इस्टीमेट के पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस0ओ0आर0), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित होने के दृष्टिगत कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0 एस0 द्वारा वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किये जाने की शर्त के साथ उच्चीकरण किये जाने एवं 05 वर्षों हेतु संचालन की स्वीकृति प्रदान की गयी है:–

**(क). उपरोक्तानुसार उच्चीकरण निर्माण लागत रू0 20.87 लाख की धनराशि योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने के स्थान पर दो समान किश्तों (50%, एवं 50%) में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन के पत्रांक 8/2017/बी0–1–1190/दस–2017–231/2017 दिनांक 03.08.2017 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार रू0 100 लाख से कम की परियोजनाओं हेतु एकमुश्त धनराशि अवमुक्त की जा सकती है के दृष्टिगत अवमुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया।**

**(ख) परियोजना के उच्चीकरण की लागत की प्रथम किश्त 50% धनराशि अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण/उच्चीकरण की विस्तृत समय सारणी एवं कार्य योजना वार चार्ट सहित कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को शहर मिशन प्रबन्धन इकाई, डूडा के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र, टास्कफोर्स की निरीक्षण आख्या एवं फोटोग्राफ तथा निर्धारित प्रारूप पर वित्तीय एवं भौतिक प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने पर अवमुक्त किया जायेगा।**

**(ग) शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगर निगम/शहर मिशन प्रबंधन इकाई डूडा को उक्त प्रस्ताव के अनुसार आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति का गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का विवरण के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन एवं उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने का दिशा निर्देशों के अनुसार विवरण एवं संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा।**

(घ) **शेल्टर होम के उच्चीकरण का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त निर्माण कार्य पूर्ण होने के प्रमाण पत्र, हस्तगत प्रमाण पत्र, उच्चीकृत शेल्टर होम का फोटोग्राफ्स एवं संचालन व्यवस्था का विवरण उपलब्ध कराने के उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि अवमुक्त किया जायेगा।**

(ड़) **उच्चीकृत किये जाने वाले शेल्टर में प्रस्तावित लागत से बचत कर मनोरंजन आदि हेतु अनिवार्य रूप से एल0ई0डी0 टी0वी0 भी लगाया जाये।**

(च) **उच्चीकरण कार्य को पूर्ण किये जाने की समय सीमा 06 माह होगी।**

(छ) **उच्चीकृत किये जाने वाले शेल्टर होम में पर्याप्त संख्या में उपयोग किये जाने वाले शौंचालयों का निर्माण ठीक प्रकार से किया जाये।**

उक्त शर्तों के अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा नगर निगम आगरा के पीर कल्यानी में 35 व्यक्तियों की क्षमता वाले उच्चीकरण के प्रस्ताव को उच्चीकृत किये जाने एवं 05 वर्षों तक संचालन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

3.8 **एटा** – जिला अस्पताल प्रांगण, एटा।

i) नगर पालिका परिषद एटा के जिला अस्पताल प्रांगण में शहरी बेघरों के लिए शेल्टर होम निर्मित कर संचालन हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव नगर मजिस्ट्रेट/परियोजना निदेशक, डूडा के पत्र सं0– 95/डूडा–एटा/2017–18 दिनांक 19.05.17 द्वारा प्रस्तुत किया गया है एवं समिति को अवगत कराया गया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:–

| | | |
|---|---|---|
| (क) प्रस्तावित शेल्टर होम हेतु शहरी बेघरों की संख्या | – | 35 |
| (ख) शेल्टर होम का प्रकार | – | नया निर्माण (G+ 3) |
| (ग) निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (Built up Area) | – | 502.46 वर्गमीटर |
| (घ) शेल्टर होम हेतु प्रस्तावित लागत | | |
| 1. निर्माण कार्यों हेतु लागत रू0 | – | 133.73 लाख |
| 2. संचालन व्यवस्था (5 वर्षों हेतु) रू0 | – | 27.45 लाख |
| **योग** | – | **161.18 लाख** |

ii) **योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा। प्रस्तुत आगणन यू0पी0 पी0डब्लू0डी0 द्वारा जी0एस0टी0 लागू होने के उपरान्त निर्गत दिशा निर्देश पत्र सं0–632 दिनांक 26.08.17 के अनुसार किया गया है। यू0पी0 पी0डब्लू0डी0 द्वारा जी0एस0टी0 लागू होने के उपरान्त दरों का पुनरीक्षण किया जा रहा है, जिसके निर्गत होने के उपरान्त तद्नुसार कार्यवाही अपेक्षित होगी।**

iii) शहरी बेघरों के आश्रय हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव में तकनीकी प्राकलन (Estimate), लेआउट एवं निर्मित की जाने वाली भौतिक सुविधाओं एवं डिजाइन का संक्षिप्त उल्लेख किया गया है।

iv) डी0पी0आर0 में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सुचारू रूप से संचालन रणनीति एवं प्रबंधन व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया गया है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का भी उल्लेख नहीं किया गया है।

v) प्रस्तावित स्थल के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय एटा द्वारा परियोजना अधिकारी डूडा एटा को सम्बोधित पत्र सं0– सी0एम0एस0/आश्र0घर/ जि0चि0/17–404 दिनांक 1605.2017 द्वारा नर्सिंग हॉस्टल के पीछे 1500 वर्गमीटर भूमि आश्रय निर्माण हेतु उपलब्ध होने का

उल्लेख करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही का अनुरोध किया गया है तथा नजरी नक्शा भी प्रस्तुत किया गया है जो कि प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

vi) प्रस्ताव में प्रस्तावित स्थल का फोटोग्राफ संलग्न है तथा प्रस्तावित स्थल पर आश्रय गृह निर्माण की उपयुक्तता पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा टिप्पणी अंकित करते हुए आश्रय गृह के निर्माण की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है।

vii) प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण करते हुए बार चार्ट के माध्यम से अवगत कराया गया है कि शेल्टर होम के निर्माण का कार्य 09 माह में पूर्ण किया जायेगा।

viii) प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम के 5 वर्षों उपरान्त नगरीय निकाय द्वारा अपने संसाधनों से संचालन किये जाने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया है।

ix) परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित स्थल जिला अस्पताल के साथ ही रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, कलेक्ट्रेट एवं जिला न्यायालय के नजदीक है, जहां पर काफी संख्या में शहरी बेघरों को आश्रय की आवश्यकता होती है। उक्त स्थल हेतु सार्वजनिक आवागमन की सुविधा उपलब्ध एवं सुलभ है।

राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त नगर पालिका परिषद एटा के जिला अस्पताल प्रांगण में संचालित शेल्टर होम्स के उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर प्राप्त इस्टीमेट के पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस0ओ0आर0), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित होने के दृष्टिगत कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0 एस0 द्वारा वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किये जाने की शर्त के साथ उच्चीकरण किये जाने एवं 05 वर्षों हेतु संचालन की स्वीकृति प्रदान की गयी है:–

(क). **निर्माण कार्य हेतु निर्माण लागत धनराशि रू0 133.73 लाख योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर निर्णय हेतु संस्तुति इस आधार पर की जाती है कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना वार चार्ट सहित कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को शहर मिशन प्रबन्धन इकाई, डूडा के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा।**

(ख) **निर्देश दिये गये कि प्रथम किश्त 40% अवमुक्त हेतु आंकलित धनराशि रू0 53.492 लाख होती है, जबकि एटा हेतु पूर्व में स्वीकृत तथा वर्तमान में निरस्त परियोजना हेतु प्रथम किश्त की धनराशि रू0 70.632 लाख सूडा द्वारा डूडा एटा को अवमुक्त की गयी है को समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि रू0 17.14 लाख डूडा एटा द्वारा तत्काल सूडा उ0प्र0 को वापस की जायेगी। इस परियोजना में प्रथम किश्त 40% के रूप में कोई भी धनराशि सूडा द्वारा अवमुक्त नहीं की जायेगी। द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र, टास्कफोर्स की निरीक्षण आख्या एवं फोटोग्राफ तथा निर्धारित प्रारूप पर वित्तीय एवं भौतिक प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने पर अवमुक्त किया जायेगा।**

(ग) **शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगर पालिका परिषद/शहर मिशन प्रबंधन इकाई डूडा को उक्त प्रस्ताव के अनुसार आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति का गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का विवरण के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन एवं उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने का दिशा निर्देशों के अनुसार विवरण एवं संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा।**

(घ) **शेल्टर होम का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त निर्माण कार्य पूर्ण होने के प्रमाण पत्र, हस्तगत प्रमाण पत्र, उच्चीकृत शेल्टर होम का फोटोग्राफ्स एवं संचालन व्यवस्था का विवरण उपलब्ध कराने के उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि अवमुक्त किया जायेगा।**

(ड़) **निर्माण कार्य को पूर्ण किये जाने की समय सीमा 09 माह होगी।**

(च) **निर्मित किये जाने वाले शेल्टर में प्रस्तावित लागत से बचत कर मनोरंजन आदि हेतु अनिवार्य रूप से एल0ई0डी0 टी0वी0 भी लगाया जाये।**

उक्त शर्तों के अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा जिला अस्पताल प्रांगण, एटा में 35 व्यक्तियों की क्षमता वाले नये निर्माण के प्रस्ताव को एवं 05 वर्षों तक संचालन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

3.9 **शाहजहांपुर** – अजीजगंज, शाहजहांपुर

i) नगर पालिका परिषद शाहजहांपुर के अजीजगंज में शहरी बेघरों के लिए शेल्टर होम निर्मित कर संचालन हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा–शाहजहांपुर के पत्र सं0–304/डूडा/आश्रय गृह/2017 दिनांक 05.10.17 द्वारा प्रस्तुत किया गया है एवं समिति को अवगत कराया गया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:–

(क) प्रस्तावित शेल्टर होम हेतु शहरी बेघरों की संख्या – 50

(ख) शेल्टर होम का प्रकार – नया निर्माण (G+ 3)

(ग) निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (Built up Area) – 544.19 वर्गमीटर

(घ) शेल्टर होम हेतु प्रस्तावित लागत

| | | |
|---|---|---|
| 1. | निर्माण कार्यों हेतु लागत रू0 | – 163.28 लाख |
| 2. | संचालन व्यवस्था (5 वर्षों हेतु) रू0 | – 35.00 लाख |
| | **योग** | – **198.28 लाख** |

ii) **योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा। प्रस्तुत आगणन यू0पी0 पी0डब्लू0डी0 द्वारा जी0एस0टी0 लागू होने के उपरान्त निर्गत दिशा निर्देश पत्र सं0–632 दिनांक 26.08.17 के अनुसार किया गया है। यू0पी0 पी0डब्लू0डी0 द्वारा जी0एस0टी0 लागू होने के उपरान्त दरों का पुनरीक्षण किया जा रहा है, जिसके निर्गत होने के उपरान्त तद्नुसार कार्यवाही अपेक्षित होगी।**

iii) शहरी बेघरों के आश्रय हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव में तकनीकी प्राकलन (Estimate), लेआउट एवं निर्मित की जाने वाली भौतिक सुविधाओं एवं डिजाइन का संक्षिप्त उल्लेख किया गया है।

iv) डी0पी0आर0 में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सुचारू रूप से संचालन रणनीति एवं प्रबंधन व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का भी उल्लेख नहीं किया गया है।

v) प्रस्ताव में प्रस्तावित स्थल का फोटोग्राफ संलग्न नहीं है।

vi) प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण करते हुए बार चार्ट के माध्यम से अवगत कराया गया है कि शेल्टर होम के निर्माण का कार्य 12 माह यानि 01 वर्ष में पूर्ण किया जायेगा।

vii) प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम के 5 वर्षों उपरान्त नगरीय निकाय द्वारा अपने संसाधनों से संचालन किये जाने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया है।

viii) अवगत कराया गया कि प्रस्तावित स्थल जिला अस्पताल एवं लेबर अड्डा के पास है जहां पर पर्याप्त संख्या में शहरी बेघरों को आश्रय की आवश्यकता है।

राज्य परियोजन स्वीकृति समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त शाहजहांपुर के अजीजगंज हेतु उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर प्राप्त इस्टीमेट के पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस0ओ0आर0), (डी. एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित होने के दृष्टिगत कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0 एस0 द्वारा वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किये जाने की शर्त के साथ निम्नलिखित शर्तों के साथ 01 नये शेल्टर होम के निर्माण एवं 05 वर्षों के संचालन हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी:–

(क). **निर्माण कार्य हेतु निर्माण लागत धनराशि रू0 163.28 लाख योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर निर्णय हेतु संस्तुति इस आधार पर की जाती है कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना वार चार्ट सहित कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को नगर निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई, डूडा के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र, टास्कफोर्स की निरीक्षण आख्या एवं फोटोग्राफ तथा निर्धारित प्रारूप पर वित्तीय एवं भौतिक प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने पर अवमुक्त किया जायेगा।**

(ख) **शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगर पालिका परिषद/शहर मिशन प्रबंधन इकाई डूडा को उक्त प्रस्ताव के अनुसार आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति का गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का विवरण के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन एवं उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने का दिशा निर्देशों के अनुसार विवरण एवं संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा एवं शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि अवमुक्त किया जायेगा।**

(ग) **शेल्टर होम हेतु आवंटित स्थल का फोटोग्राफ्स निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।**

(घ) **शेल्टर होम का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त निर्माण कार्य पूर्ण होने के प्रमाण पत्र, हस्तगत प्रमाण पत्र, उच्चीकृत शेल्टर होम का फोटोग्राफ्स एवं संचालन व्यवस्था का विवरण उपलब्ध कराने के उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि अवमुक्त किया जायेगा।**

(ड़) **निर्माण कार्य को पूर्ण किये जाने की समय सीमा 09 माह होगी।**

(च) **निर्मित किये जाने वाले शेल्टर में प्रस्तावित लागत से बचत कर मनोरंजन आदि हेतु अनिवार्य रूप से एल0ई0डी0 टी0वी0 भी लगाया जाये।**

उक्त शर्तों के अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा अजीजगंज, शाहजहांपुर में 50 व्यक्तियों की क्षमता वाले नये निर्माण के प्रस्ताव को एवं 05 वर्षों तक संचालन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

**बिन्दु सं0–4** समिति को अवगत कराया गया कि दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक "शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना" (SUH) के अन्तर्गत लखनऊ एवं कानपुर शहरों हेतु विगत में राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा स्वीकृत उच्चीकरण की परियोजनाओं में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक 08/2017/बी–1–1190–दस–2017–231/2017 दिनांक 13.08.2017 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार रू0 100.00 लाख से कम की परियोजनाओं हेतु एकमुश्त धनराशि अवमुक्त की जा सकती है के अनुक्रम में नीचे दी गयी तालिका में उल्लिखित परियोजनाओं में राज्य परियोजना

स्वीकृति समिति द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाइन के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृत तीन किश्तों में धनराशि अवमुक्त किये जाने के स्थान पर दो किश्तों में धनराशि (उच्चीकरण की परियोजनाओं की निर्माण लागत न्यूनतम रू0 5.89 लाख एवं अधिकतम 27.44 लाख होने एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरन्तर मानीटरिंग किये जाने के दृष्टिगत) अवमुक्त की गयी है।

(धनराशि रू0 लाख में)

| क्र0 सं0 | शहर का नाम | उच्चीकरण की परियोजनाओं की संख्या | निर्माण कुल लागत (रू0 लाख में) | प्रथम किश्त की स्वीकृत के उपरांत अवमुक्त धनराशि (40%) | शासनादेश के अनुक्रम में द्वितीय एवं तृतीय किश्त की एक साथ अवमुक्त की गयी धनराशि (60%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | लखनऊ | 6 | 72.20 | 28.88 | 43.32 |
| 2 | कानपुर | 8 | 102.56 | 41.024 | 61.536 |

अतः प्रकरण मा0 सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के दृष्टिगत उल्लिखित शासनादेश के अनुक्रम मे कम लागत की उच्चीकरण की उल्लिखित परियोजनाओं को ससमय पूर्ण कराकर संचालन कराये जाने हेतु कार्यहित में दो किश्तों में अवमुक्त की गयी धनराशि की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णयः– **राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा उल्लिखित उच्चीकरण की परियोजनाओं के कम लागत की परियोजना होने, प्रकरण की मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निरन्तर मानीटरिंग किये जाने के दृष्टिगत शेल्टर होम में शीघ्र उच्चीकृत का कार्य पूर्ण कराकर संचालन किये जाने हेतु लखनऊ/कानपुर हेतु 3 किश्तों के स्थान पर दो किश्तों में अवमुक्त की गई धनराशि के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त कार्योत्तर स्वीकृत प्रदान की गई तथा भविष्य में कम लागत की परियोजनाओं को उच्चीकरण किये जाने में भी उक्त प्रावधान किये जाने की स्वीकृत प्रदान की गई।**

**बिन्दु सं0–5– अन्य बिन्दु**

समिति को अवगत कराया गया कि उपरोक्त परियोजनाओं के अतिरिक्त नगर निगम आगरा से 11, इलाहाबाद से 5, मेरठ से 12 एवं मुरादाबाद से 7 पूर्व से संचालित शेल्टर होम्स को सम्मिलित कर 35 उच्चीकरण किये जाने की भी परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें क्षमता 5 से 22 (15 से 22 व्यक्तियों की क्षमता वाली 6 परियोजना, 10 से 15 व्यक्तियों की क्षमता वाली 26 परियोजना एवं 10 से कम व्यक्तियों की क्षमता वाली 3 परियोजनाएं) व्यक्तियों की है। उक्त सभी प्राप्त प्रस्ताव में अन्तःवासियों के रहने की क्षमता 25 से कम हैं।

समिति को यह भी अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत प्रस्तावों के सम्बन्ध में भारत सरकार के संशोधित दिशा निर्देश– F.No-K14011/7/2013-UPA/FTS9789 दिनांक–03.08.2015 के अनुसार स्वीकृत किये जाने वाले प्रस्तावों की क्षमता के सम्बन्ध में निम्नानुसार उल्लेख हैः–

| As per Guideline | As per Amended Guideline |
|---|---|
| Depending upon local condition each shelter could cater to 50 or 100 person | Depending upon local condition each shelter should preferably cater to 50 or more person. In exceptional situations, shelter with lessor capacity could also be approved. |

निर्णय– **राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त भारत सरकार द्वारा किये गये उल्लिखित प्राविधान के दृष्टिगत प्रथम दृष्टया 25 व्यक्तियों से कम क्षमता वाले शेल्टर होम को स्थानीय नगरीय निकायों द्वारा स्वयं के संसाधनों से मिशन के दिशा निर्देशानुसार उच्चीकृत कराये जाने हेतु सम्बन्धित नगरीय निकायों को वापस किये जाने का निर्णय लिया गया।**

आवश्यक निर्देश

**राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा शहर/नगरीय निकायों द्वारा प्रस्तुत किये गये परियोजनाओं की उपरोक्तानुसार स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित निर्देश दिये गये:–**

1. प्रकरण के मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका (सिविल) संख्या 55/2003 एवं 572/2003 ई0आर0 कुमार व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में की जा रही सघन समीक्षा के दृष्टिगत त्वरित गति से कार्यवाही करते हुए गुणवत्ता आधारित निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।
2. कार्यदायी संस्था को निर्धारित समय सीमा में अनुपातिक आधार पर गुणवत्ता आधारित कार्य कराते हुए अपेक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। शहर मिशन प्रबन्धन इकाई/निकाय को कार्यदायी संस्था से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र तत्काल नियमानुसार निर्धारित प्रारूपों में सी0पी0ओ0/पीडी/डीएम के माध्यम से राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई– सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना होगा।
3. शहर मिशन प्रबन्धन इकाई को उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्राप्त होने 15 दिवसों में आगामी किश्त के अवमुक्त की कार्यवाही करना आवश्यक होगा ताकि समय से धनराशि अवमुक्त करके निर्धारित समय में कार्य पूर्ण कराया जा सके।
4. निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को उल्लिखित निर्देशों की अनुपालन आख्या प्रत्येक दशा में स्वीकृत तिथि से 01 माह के भीतर राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य है।
5. निर्देश दिये गये कि जिन परियोजनाओं का गठन प्लिंथ एरिया रेट पर किया गया है, उन परियोजनाओं की विस्तृत आगणन SOR के अनुसार तैयार कर प्रस्तुत किया जायेगा। भविष्य में प्रस्तुत किये जाने वाले डी0पी0आर0 में विस्तृत आगणन प्रस्तुत किया जाना अपरिहार्य होगा।
6. हडको प्रतिनिधि द्वारा इलाहाबाद में दो नये निर्माण परियोजनाओं की लागत में प्रति व्यक्ति लागत भिन्न होने के दृष्टिगत की गयी टिप्पणी के अनुपालन में विस्तृत आगणन नियमानुसार तैयार कर उपलब्ध कराया जायेगा एवं प्रति व्यक्ति लागत भिन्न होने के स्पष्ट कारणों का भी उल्लेख करते हुए अनुपालन आख्या इस कार्यालय को सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
7. निर्देश दिये गये कि सभी निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम में कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0, जल निगम द्वारा वेन्टीलेशन एवं समुचित प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था सुचारू रूप से सुनिश्चित की जायेगी।
8. निर्देश दिये गये कि निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम में प्रस्तावित किचेन में वेन्टीलेशन एवं समुचित प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
9. निर्देश दिये गये कि सभी उच्चीकरण एवं नये निर्माण के आश्रय गृहों में एल0ई0डी0 टी0वी0 की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करायी जाये।
10. गाइडलाइन के अनुसार आश्रय गृह संचालन एवं प्रबन्धन व्यवस्था की कार्यवाही आश्रय निर्माण के साथ–साथ करना अपरिहार्य है, ताकि निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व आश्रय व्यवस्था प्रबन्धन समिति (Shelter Management Committee) का गठन, अपेक्षित स्टाफ की व्यवस्था तथा उनके उत्तरदायित्व आदि सभी कार्यवाही पूर्ण कर समय से संचालन प्रारम्भ किया जा सके।
11. निर्देश दिये गये कि निर्माण कार्य के साथ–साथ निर्मित किये जाने वाले आश्रय एवं प्रस्तावित भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने की कार्यवाही का विवरण तैयार कर तत्काल अनुपालन स्वरूप राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई सूडा, उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जायेगा।
12. निर्देश दिये गये कि शहरी बेघरों हेतु स्वीकृत सभी परियोजनाओं का अनुमोदन शहर स्तर पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित कार्यकारी समिति से अवश्य करा लिया जाये।

13. प्रस्तावित शेल्टर होम के निर्माण के प्लान/नक्शों का नियमानुसार सम्बन्धित निकायों/प्राधिकरणों आदि से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।
14. स्वीकृति के अनुरूप निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई एवं कार्यदायी संस्था के मध्य नियमानुसार अनुबन्ध की कार्यवाही करते हुए तत्काल निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
15. परियोजनान्तर्गत किसी भी प्रकार की मूल्यवृद्धि देय नहीं होगी।
16. निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम में सभी सुविधायें एवं सेवाएं गाइडलाइन के अनुसार सुनिश्चित किया जाना अपरिहार्य होगा। साथ ही समय–समय पर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
17. निर्देश दिये गये कि प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।
18. उ0प्र0 पी0डब्लू0डी0 द्वारा जी0एस0टी0 लागू होने के उपरान्त निर्धारित की जाने वाली दर अनुसूची के अनुक्रम में नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित होगी।
19. स्वीकृत सभी परियोजनाओं पर निर्माण कार्य/उच्चीकरण का कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाना होगा विशेष रूप से इलाहाबाद हेतु स्वीकृत सभी परियोजनाओं के निर्माण/उच्चीकरण के कार्य अर्द्ध कुम्भ 2019 के दृष्टिगत निर्धारित समय सीमा से पूर्व पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा।

15.11.17

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव

राज्य शहरी आजीविका मिशन (सूडा)
प्रथम तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक– 715/241/NULM/तीन/(SUH)Vol-II दिनांक– 16-11-17

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. संयुक्त सचिव, यू0पी0ए0 सेल, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, सचिव नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. निजी सचिव, सचिव नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उ0प्र0 शासन।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0।
8. क्षेत्रीय प्रमुख हडको, लखनऊ।
9. निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
10. वित्त नियंत्रक, सूडा/राज्य शहरी आजीविका मिशन एस0यू0एल0एम0 को उक्त के आलोक में नियमानुसार धनराशि अवमुक्त करने की कार्यवाही हेतु।
11. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा– एटा, शाहजहांपुर, आगरा एवं इलाहाबाद।
12. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा एवं इलाहाबाद।
13. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद– एटा एवं शाहजहांपुर।

14. सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर/शहर मिशन प्रबंधन इकाई– एटा, शाहजहांपुर, आगरा एवं इलाहाबाद।
15. परियोजना अधिकारी, डूडा एटा, शाहजहांपुर, आगरा एवं इलाहाबाद।
16. सहायक वेबमास्टर को सूडा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक